

1-10-19

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उयः पत्रावली
से फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
पालना हेतु पुनः यत्र लिखा जाक (पालना)
रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली दि: 19-11-19
को पेश हो।

19-11-19 -

पत्रावली पेश हुई SD0 बा० न० १००० पुनाय हेतु रावलपुर
अव पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक २५/11/19
को पेश हो

20-11-19

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित।
पत्रावली में तहसीलदार बेगम द्वारा उन्हे फर्द
1134 दिनांक 15.11.13 से रिपोर्ट प्रस्तुत की
है। कि वादी विजय कुमार सिन्धी ने एक
पार्सल पत्र तहसीलदार बेगम अफसरियल में
प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि वादी के
आते में अंकित मोजा नहर गढ़ की धाराकी
सं. 256 व 257 किता 2 बकबा 3.25 ईक.
भूमि में वादी का निहित हिस्सा वादी द्वारा
जिलेन्द्र पिल दौलतराम सिन्धी को विक्रय
कर दिया है। जिससे क्रेता के नाम पर नामांतरण
करम सं. 515 दिनांक 20.2.2018 से वादी के
स्थान पर राजस्व रेकॉर्ड में क्रेता जिलेन्द्र का
नाम अंकित हो गया है। चूंकि वाद वर्तित धाराकी
में वादी का कोई एक हिस्सा नहीं रहा है।
अतः वाद वादी को अन्तगत धारा 53
R.T. वक्ष का वादी द्वारा अपना हिस्सा विक्रय
कर हिमे जाने से एवं वादी का धाराकी में
हिस्सा नहीं होने से वाद खारिज किया जाता
है। पत्रावली फंसल नुम्बर होकर नम्बर से
कम है।

(V.K. ...)